



## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील बाद

संख्या-83 (लो0सू0अ0)/2023-24

डॉ. अखिलेश रजक, अधिवक्ता, ग्रा.-मस्तीपुर, पो.+था.-बोध गया, रूटइंच्यूट रोड,  
जिला-गया-824231

बनाम


लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
29.09.2023	<p>डॉ. अखिलेश रजक, अधिवक्ता, ग्रा.-मस्तीपुर, पो.+था.-बोध गया, रूटइंच्यूट रोड, जिला-गया-824231 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-21.09.2023 इस कार्यालय में दिनांक-27.09.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-59F 847674 दिनांक-11.08.2023 संलग्न है। इसे लेखा शखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलार्थी डॉ. अखिलेश रजक ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-14.07.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-14.07.2023 की छायाप्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता डॉ. अखिलेश रजक ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p> <p style="text-align: right;">दिनांक-29.09.2023</p>

ज्ञापक-1507/सू0अ0(III)

प्रतिलिपि-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया/डॉ. अखिलेश रजक, अधिवक्ता, ग्रा.-मस्तीपुर, पो.+था.-बोध गया, रूटइंच्यूट रोड, जिला-गया-824231 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी